राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2015/1093 दिनांक : 18.06.2015

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय : जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2015–16 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति कमांक : क्रमांकः क्रमांकः प्रशि./ जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2015/1091 दिनांक : 18.06.2015 की हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी के साथ संलग्न कर भेजकर अनुरोध है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर के सभी संस्करणों में अतिशिघ्र प्रकाशित करवाने का श्रम करे।

संलग्न – हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी।

(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2015/1093 दिनांक : 18.06.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –:

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के संबंध में एक प्रेस नोट अति0 निदेशक (प्रशिक्षण) की और से जारी कराने की व्यवस्था करावें।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रवेश हेतु प्रकाशित की जाने वाली संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रवेश विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
7. प्रभारी, समस्त राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र को संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रवेश विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर लेख है कि इनको आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने का श्रम करावें।
8. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैडरेशन, ई–277 लालकोठी योजना,जयपुर।
9. सचिव/समन्वयक, प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस सोसायटी ऑफ जयपुर, 17 संगम होटल, मोतीलाल अटल रोड, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
10. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।

(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2015/1091 दिनांक : 18.06.2015

-:: संक्षिप्त विज्ञप्ति ::-

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में सत्र 2015-16 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक 20.06.2015 से दिनांक 20.07.2015 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्ते निम्नानुसार है :-

1.	शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से व अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डो की इसके समकक्ष सीनियर सैकेण्ड्री परीक्षा नई स्कीम (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फीजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिता देय होगी। यदि उपरोक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग/श्रेणी में उपलब्ध नही होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु ही, अन्य विषय वर्ग(गणित एवं कृषि विज्ञान सहित) उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत) न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो दोनो परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाऐ ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करें)।
2.	आयु (31.12.2015 को)	दिनांक 31.12.2015 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) विभागीय कोटे के अभ्यर्थियों मे नियमित कार्यरत प्रसाविकाओं (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
3.	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या/ संस्थाओं की संख्या (परिवर्तनीय) है। राजकीय/ निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउन्सलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
4.	आरक्षण	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 21 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार देय है। अन्य पिछडा वर्ग में चयनित नही होने वाले विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछडा वर्ग में देय होगा। निःशक्तजन श्रेणी के लिये 3 प्रतिशत तथा विभागीय कर्मचारियों के लिये 10 प्रतिशत क्षैतिज आधार पर आरक्षण देय है। राजकीय जीएनएम स्कूल बांसवाडा की सभी सीटे जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों तथा बारां जिले की शाहबाद तथा किशनगंज तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिये निजी नर्सिंग स्कूल्स मे भी नियमानुसार आरक्षण देय होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किये प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।
5.	महिला/पुरूष अभ्यर्थियों की सीटो की संख्या का अनुपात	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश/चयन का अनुपात 80:20 होगा। किसी भी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी एवं पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर महिला अभ्यर्थियों से सीटे भरी जावेगी।
6.	पाठ्यक्रम की अवधि	3 वर्ष एवं 6 माह, जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है।
7.	शिक्षण शुल्क	राजकीय प्रशिक्षण स्कूल 180/- रूपये वार्षिक। निजी प्रशिक्षण स्कूल 50,000/- रूपये वार्षिक।
8.	चयन प्रकिया	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाईन काउंसलिंग के दौरान योग्य अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पानुसार इच्छित प्रशिक्षण केन्द्र पर वरियतानुसार सीट रिक्त होने की स्थिति में केन्द्र का आवंटन कर चयन प्रकिया पूर्ण की जायेगी।

9.	आवेदन शुल्क	सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग (विशेष पिछडा वर्ग सहित) के अभ्यर्थी को 200/- रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को 100/- रूपये का आवेदन शुल्क ई मित्र/सीएससी नेटवर्क का टोकन से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा कराया जा सकता है।
10.	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध है।

(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2015/1092 दिनांक : 18.06.2015

–:: प्रवेश विज्ञप्ति ::–

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2015–16 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति)

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय/निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में सत्र 2015–16 हेतु प्रारम्भ होने वाले जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (तीन वर्ष छः माह, जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) में प्रवेश हेतु योग्य महिला/पुरूष अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application form) आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि 20.06.2015 से अन्तिम तिथि 20.07.2015 निर्धारित हैं। सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग (विशेष पिछडा वर्ग सहित) के अभ्यर्थी को 200/– रूपये तथा अनुसूयित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को 100/– रूपये का आवेदन शुल्क ई मित्र/सीएससी नेटवर्क का टोकन ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा कराने पर ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन एवं प्रवेश की शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :–

(A.) शैक्षणिक योग्यता :–

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से व अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डो की इसके समकक्ष सीनियर सैकेण्ड्री परीक्षा नई स्कीम (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फीजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिता देय होगी। यदि उपरोक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग/श्रेणी में उपलब्ध नही होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु ही, अन्य विषय वर्ग(गणित एवं कृषि विज्ञान सहित) उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा।
2. सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत) न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो दोनो परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाऐ ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करें)।

(B.) आयु (31.12.2015 को संदर्भ मानकर गणना की जावेगी।) :–

1. दिनांक 31.12.2015 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) विभागीय कोटे के अभ्यर्थियों मे नियमित रूप से कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरूष) हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। (जन्म तिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका/ प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करें।)

(C.) अन्य सामान्य जानकारी :–

1. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि एवं पाठ्यक्रम की अवधि एवं पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।
2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 534/05 द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरा बनाम फिरदोस तरन्नुम में दिनांक 20.01.2006 को पारित निर्णय की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश कमांक : मान्यता/ईक्यू/1045 दिनांक 05.07.2011 एवं पत्रांक 2042 दिनांक 17.11.2011 के कम में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 586 दिनांक 18.07.2014 के अनुमोदनानुसार जामिया उर्दु अलीगढ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रकिया में शामिल नही किया जावेगा।
3. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों का एक प्रशिक्षण केन्द्र से अन्य प्रशिक्षण केन्द्र पर स्थानान्तरण पूर्णतः निषिद्ध होगा।

4. प्रशिक्षण हेतु महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों का चयन 80:20 अनुपात में होगा। किसी वर्ग/ श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग/श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रवेश देय होगा।
5. प्रशिक्षण में चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अतः सभी संस्थानों हेतु एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जावे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट तैयार की जाकर आरक्षण के वर्गवार राजकीय/निजी संस्था का आवंटन कर दिया जावेगा। **निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु फीस पेटे 10,000/– रूपये अग्रिम राशि बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है।** जिसकी प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग के पूर्व विकल्प पत्र के साथ–साथ विभागीय वैबसाईट पर स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। उसके पश्चात् ही अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग में प्रवेश देय होगा। रूचि के प्रशिक्षण केन्द्र में आवंटन हो जाने पर अग्रिम जमा राशि वापिस देय नही होगी। इसका समायोजन फीस की राशि में कर दिया जावेगा।
6. रूचि के केन्द्र में प्रवेश मिलने पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नही लेगा/ किसी कारणवश प्रशिक्षण केन्द्र को छोड देता है तो उसके द्वारा फीस पेटे जमा 10,000/– रूपये अग्रिम राशि जब्त कर राजकोष में जमा करा दी जावेगी।
7. अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ्य होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वाईनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन किये बिना, प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।
8. सत्र आरम्भ होने की सम्भावित तिथि माह अक्टूबर, 2015 है।
9. नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

<u>(D.) काउंसलिंग :–</u>

1. प्रथम काउंसलिंग की सूची ऑनलाईन जारी करने की संभावित तिथि 20 अगस्त, 2015 है।
2. प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग की सूचना (विस्तृत कार्यक्रम) विभागीय वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in**/नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी। इसमें राजकीय/निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स की सूची उपलब्ध करा दी जावेगी। अभ्यर्थी अपना विकल्प पत्र विभागीय वैबसाईट पर जारी नर्सिंग स्कूल्स की उपलब्ध सूची के आधार पर ऑनलाईन भरकर प्रस्तुत करेगा। इस हेतु राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर आरक्षण की श्रेणीवार तीन गुणा अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल न0 पर सूचित कर दिया जायेगा।
3. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन ऑनलाईन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी की राज्य स्तरीय मेरिट एवं अभ्यर्थी के ऑनलाईन दिये गये विकल्प के आधार पर किया जावेगा। अभ्यर्थियों को अपनी रूचि/वरियता के प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाते हुए विकल्प पत्र ऑनलाईन काउंसलिंग के जरिये ही भरकर प्रस्तुत करना होगा। तद्नुसार ही अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जावेगा।
4. राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की प्रथम काउंसलिंग के बाद प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना राजकीय/संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल को निर्धारित तिथि 31.08.2015 के पश्चात् तत्परता से तुरन्त निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी। यदि उपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना किसी संस्थान द्वारा नही दी गई या सूचना देने में विलम्ब किया गया हो तो ऐसी राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में आवंटन नही होने के फलस्वरूप रिक्त रहने वाली सीटों के लिये राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल का स्वयं का दायित्व होगा एवं आगामी काउंसलिंग में उस नर्सिंग स्कूल को सम्मिलित नही किया जावेगा।
5. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रादि/अंकतालिका उनके नर्सिंग स्कूल्स में ही रहेंगे और इनका संबंधित बोर्ड/ संस्थान से सत्यापन करा लिये जाने के बाद ही लौटाया जा सकेगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जायेगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुए उसके खिलाफ अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।

<u>(E.) विभागीय सेवारत कर्मचारी :–</u>

राजकीय/ निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राज्य सेवा में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिए योग्यताएं/शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. योग्यताधारी विभागीय कर्मचारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करें।
2. चयनित होने पर विभागीय कर्मचारियों को नियमानुसार अवकाश लेना होगा।
3. राज्य सरकार के पत्र कमांक प. 8 (6) चि/ग्रुप–3/88 दिनांक 14.10.1997 के प्रावधानानुसार एवं भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी), नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधित गाईडलाईन के अनुसार विभागीय कर्मचारी दिनांक 31.12.2015 को 35 वर्ष से अधिक आयु के नही होने चाहिए तथा उक्त दिनांक को नियमित नियुक्ति में पॉच वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के पत्र कमांक प.5 (5) चि.स्वा. – 3/93 पार्ट दिनांक 01.01.2000 के प्रावधानानुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला/पुरूष) के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4. विभाग में संविदा/समेकित वेतन (Fixed Pay) पर कार्यरत कर्मचारी चयन के पात्र नही है।
5. विभाग में नियमित कार्मिक के रूप में सेवारत कर्मचारियों जिनकी निरन्तर सेवायें 5 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो गई है, विभागीय कर्मचारियों की श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे।

(F.) आरक्षण :–

1. अन्य पिछडी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। **अन्य पिछडा वर्ग में चयनित नही होने वाले विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछडा वर्ग में देय होगा।** राजस्थान राज्य के ही आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण देय होगा। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करें।)
2. निःशक्त अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण (एक पैर से विकलांग) विकलांग श्रेणी में होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर देय होगा। 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ देय नही होगा तथा प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पुराना नही होना चाहिए। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करें।)
3. राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाडा की सभी सीटे जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है, इस हेतु जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अर्थात् बांसवाडा, डूंगरपुर जिला तथा उदयपुर जिले की खैरवाडा/सराडा/सलूम्बर/धरियाबाद/कोटडा तथा गिर्वा तहसीलों के जनजाति विकास विभाग उदयपुर द्वारा निर्धारित 81 गांवो के अभ्यर्थी, प्रतापगढ जिले की अरनोद/प्रतापगढ तहसीलों के जनजाति तथा सिरोही जिले की आबूरोड तहसील एवं बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद पंचायत समितियों के सहरिया जनजाति के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र है। (नोटः– जनजाति विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किया जाने वाला परिवर्तन मान्य होगा।)
4. जनजातिय उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को एवं बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिये निजी नर्सिंग स्कूल्स मे भी नियमानुसार आरक्षण देय होगा। जिसके लिये ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी आवश्यक होगी।
5. राज्य सरकार के पत्र कमांक प.5 (330) चिस्वा./ग्रुप–3/97 दिनांक 26.11.2002 के प्रावधानानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों (सभी संवर्गो) को प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ होरिजेन्टल बेसिस पर वरीयता के आधार पर दिया जावेगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता / महिला स्वास्थ्य दर्शिका हेतु प्रशिक्षण कोर्स की अवधि 3 वर्ष निर्धारित है तथा इन्हें 6 माह के मिडवाईफरी प्रशिक्षण की छूट होगी।
6. राज्य सरकार के पत्रांक एफ.5 (23) चिकि.स्वा./ग्रुप–3/07 दिनांक 23.10.09 के प्रावधानानुसार निजी सहभागिता कार्यकम (Public Private Partnership Programme) के अन्तर्गत राजस्थान बाल कल्याण समिति, डूंगरपुर के अधीन संचालित जे.आर. इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सागवाडा (डूंगरपुर) में डूंगरपुर जिले के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रवेश दिया जावेगा। डूंगरपुर जिले के अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की स्थिति में उदयपुर संभाग के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। संस्थान में शुल्क का ढांचा अन्य निजी जीएनएम प्रशिक्षण संस्थानों को शुल्क का आधा अर्थात 50 प्रतिशत दो वर्ष तक ही देय होगा। जो कि समय–समय पर सर्वोच्च न्यायालय/भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

(नोटः– क.सं. (ई) में उल्लेखित विभागीय कर्मचारी तथा कम संख्या एफ (2) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर प्रशिक्षण की सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जावेगा)

(G) आवेदक द्वारा शुल्क जमा कराने की प्रकिया :–

1. आवेदन पत्र ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (केडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग) से शुल्क जमा करा सकते है। जिसकी रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त होगी।

2. ई–मित्र/सीएससी कियोस्क केन्द्र जो राजस्थान सरकार से अधिकृत हो के माध्यम से शुल्क जमा कर 16 डिजीट टोकन नम्बर प्राप्त कर रसीद लेवे।

3. **शुल्क स्ट्रक्चर**

माध्यम	एससी/एसटी	सामान्य/ओबीसी
ई मित्र	शुल्क 100/– + 10/– फार्म चार्ज ई मित्र कुल योग – 110/–	शुल्क 200/– + 10/– फार्म चार्ज ई मित्र कुल योग – 210/–
पेमेन्ट गेटवे (केडिट/डेबिट कार्ड.)	शुल्क 100/– + 10/– बैंक चार्ज कुल योग – 110/–	शुल्क 200/– + 10/– बैंक चार्ज कुल योग – 210/–
पेमेन्ट गेटवे (नेट बैकिंग)	शुल्क 100/– + 20/– बैंक चार्ज कुल योग – 120/–	शुल्क 200/– + 20/– बैंक चार्ज कुल योग – 220/–

नोट :– आवेदक द्वारा जमा की गयी शुल्क राशि वापस योग्य नही होगी।

(H) आवेदन करने की प्रकिया :–

1. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20.06.2015 से ऑनलाईन (Online Application form) आमंत्रित लिये जाऐगे। जिन्हें विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20.07.2015 निर्धारित है। अभ्यर्थी अन्तिम को सायः 5:00 बजे तक ई मित्र/सीएससी नेटवर्क के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करा सकेंगे तथा मध्यरात्रि 12:00 बजे तक भरे जा सकेंगे।
2. आवेदन शुल्क व आनलाईन आवेदन पत्र भरने का निर्धारित शुल्क की राशि ई मित्र/सीएससी नेटवर्क पर केवल नकद राशि के रूप में एवं पेमेन्ट गेटवे (केडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग) के माध्यम से स्वीकार्य की जावेगी।
3. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क ई मित्र/सीएससी नेटवर्क के माध्यम से जमा करा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा कराते समय अभ्यर्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, मूल निवास आदि का वर्णन सादा पेपर पर अंकित कर ई मित्र/सीएससी नेटवर्क पर प्रस्तुत करेगा। आवेदन शुल्क जमा कराने के उपरान्त कम्प्युटर द्वारा रसीद प्राप्त होगी, जिसमें उक्त सूचनाओं के साथ टोकन नम्बर जारी किया जावेगा। साथ ही साथ यह टोकन नम्बर आनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए अंकित (Eenter) करने पर ही आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। टोकन नम्बर अंकित नही करने पर कम्प्युटर स्क्रीन पर ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रदर्शित नही होगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुरुप आवेदन शुल्क सीधे पेमेन्ट गेटवे (केडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग) के माध्यम से जमा करा सकता है जिसकी रसीद ऑनलाईन जारी होगी।
4. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ साथ ले जावे। (Image JPEG format Size 50kb-100kb)
5. अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image JPEG format Size 50kb-100kb)
6. जाति प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image Size 150kb-500kb)
7. जन्म तिथि हेतु दसवी की अंकतालिका या प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image Size 150kb-500kb)
8. बारहवी की अंकतालिका स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image Size 150kb-500kb)
9. यदि निःशक्तजन है तो संबंधित प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image Size 150kb-500kb)
10. यदि विभागीय कर्मचारी है तो नियंत्रक अधिकारी से 5 वर्ष की सेवापूर्ण करने का प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image Size 150kb-500kb) फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करने से पूर्व स्वयं द्वारा जांच लिया जावे कि दस्तावेज स्वयं के है और सही है।
11. आवश्यक दस्तावेज (दसवी/बारहवी की अंकतालिका) स्वयं द्वारा जांच लिया जावे कि दस्तावेज स्वयं के है और सही है।
12. यदि सूचना में कोई परिवर्तन करना हो तो सबमिट बटन दबाने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि जो सूचना अंकित की गई है वह पूर्णतः सत्य है।

13. आवेदन पत्र ऑनलाईन सबमिट हो जाने के बाद एडिटिंग की अनुमति नही है। अभ्यर्थी विशेष रूप से यह नोट कर ले कि आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद मे दर्ज विवरण ही ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्वतः ही दर्ज होगा।
14. आवेदक आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रिन्ट आऊट (हार्ड कॉपी) डाउनलोड कर लेवे तथा उसे अपने पास सुरक्षित रखे। ताकि विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सके। उसे कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नही है।
15. अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के उपरान्त उन्हें आवेदन पत्र कमांक (Application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक उपलब्ध नही होता है तो इसका अर्थ यह है कि आवेदन पत्र जमा (सबमिट) नही हुआ है।
16. ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 20.06.2015 से निर्धारित अन्तिम तिथि 20.07.2015 तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। (विभाग को विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।)

नोट :–

1. ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर से डाउनलोड कर उसे ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व हाथ से भर ले, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र में वांछित समस्त सूचना अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः ही रद्द कर दिया जावेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
3. गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन पत्र में सुधार हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के पश्चात् कोई प्रार्थना पत्र/पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जावेगा।
4. जानबूझ कर भ्रामक सूचना देने अथवा कूटरचित दस्तावेत प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त करने के साथ – साथ आपराधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
5. अभ्यर्थी जिस श्रेणी वर्ग के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करे।

(I) फीस :–

"राजकीय स्कूल्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग के पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 180/– वार्षिक फीस राशि एवं निजी क्षेत्र में **संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु फीस पेटे 10,000/– रूपये अग्रिम राशि, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है।** शेष राशि आवंटित प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र को उपस्थिति के समय मूल दस्तावेजो के साथ जमा करानी होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रवेशार्थी/प्रवेशार्थी के संरक्षक द्वारा प्रस्तुत करना होगा कि राजकीय निर्णय अनुसार शुल्क में जो वृद्धि की जावेगी, उस शुल्क के अन्तर की राशि उसके द्वारा जमा करा दी जावेगी।

निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिये फीस 50,000/– वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास (निवास की स्थिति में) शुल्क के रूप में सिंगल बैडेड रूम रूपये 15,000/– अधिकतम, डबल बैडेड रूम रूपये 12,000/– अधिकतम व ट्रिपल बैडेड रूम रूपये 10,000/– अधिकतम निर्धारित है।

(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यकम सत्र 2015–16 में प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप

स्वयं का पासपोर्ट साईज का हस्ताक्षरित फोटो चिपकाऐ।

भाग – अ

कृपया अपने से संबंधित बॉक्स पर (√) का चिन्ह अंकित करे।

1. सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में अभ्यर्थी का ऐच्छिक विषय (फैकल्टी)
   साईन्स (बॉयलोजी ग्रुप) ( ) अन्य विषय ग्रुप ( )
   (उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की प्रति अपलोड करे।)
2. अभ्यर्थी का लिंग :– महिला ( ) पुरूष( )
3. अभ्यर्थी का जाति वर्ग :–
   सामान्य ( ) अनुसूचित जाति ( ) अनुसूचित जनजाति ( )
   अन्य पिछ्डी जाति ( ) विशेष पिछडा वर्ग ( ) टीएसपी अनुसूचित जनजाति ( )
   टीएसपी अनुसूचित जाति ( ) सहरिया ( )
   (जाति प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
4. क्या अभ्यर्थी निःशक्तजन (ओ.एल) श्रेणी में प्रवेश का पात्र हैं :– हा ( ) नही ( )
   (केवल एक पैर से विकलांग ही पात्र होंगे प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
5. यदि विभागीय राज्य कर्मचारी है तो किस श्रेणी में पात्रता रखता है :–
   स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरूष) अन्य कर्मचारी( )
   (आवेदन पत्र का भाग "स" भरना अनिवार्य है। इसके अभाव में आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य होगा। प्रशासनिक अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
6. टोकन नम्बर .... दिनांक ....राशि (रूपये ....)
   (ऑनलाईन अथवा आफॅलाईन)

भाग – ब

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी मे) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों मे) ....
2. पिता का नाम (हिन्दी मे) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों मे) ....
3. पति का नाम (हिन्दी मे) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों मे) ....
4. जन्म तिथि ..../.........../................
   (दसवी की अंकतालिका की प्रति अपलोड करे।)
5. दिनांक 01.10.2015 को आयु वर्ष ...... माह ..... दिन ....
6. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.स.	सीनियर सैकेण्डरी या समकक्ष	बोर्ड/ विवविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णाक	प्राप्तांक	प्रांप्तार्को का प्रतिशत

7. वर्तमान पता ....
   .... जिला ....राज्य ....
8. स्थायी पता ....
   .... जिला ....राज्य ....
9. मोबाईल न. ....

हस्ताक्षर आवेदक

भाग – स

(केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए)

1. नाम अभ्यर्थी ....
2. पदनाम .... स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरूष) अन्य कर्मचारी ( )
3. संवर्ग में नियमित नियुक्ति तिथि ....
4. वर्तमान पदस्थापन स्थान ....
5. जन्म दिनांक ..../......../...............

हस्ताक्षर आवेदक

उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकार्ड अनुसार सही है।

भाग – द घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी मे पूर्णत सत्य है, तथा मैने कोई तथ्य छिपाया नही है। मेरे द्वारा दिये गये विवरण असत्य/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक पाये जाने पर मेरा आवेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिए मैं कोई आपत्ति नही करूंगा/करूंगी।

संलग्न :– प्रमाणित प्रतिलिपि का विवरण :–

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर आवेदक

नोट :– आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र स्पष्ट/पूर्ण रूप से भरा हुआ तथा स्व–हस्तारक्षित होना आवश्यक हैं। अहस्तारक्षित आवेदन पत्र निरस्तनीय होगा।